राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1759/2025

सोमदत्त शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त एवं सचिव, निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.01.2025
आदेश की दिनांक : 25.03.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री मनीष कुमार शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ सहायक के पद पर नगर पालिका, लक्ष्मणगढ, जिला अलवर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से नगर पालिका, विराटनगर किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण जिला अलवर से बांसवाडा 650 कि.मी. दूर आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा किया गया था, जिसे अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 925/2024 प्रस्तुत करते हुये चुनौती दी और माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक 14.03.2024 को अंतरिम आदेश जारी किया गया और उक्त अपील वर्तमान में लंबित होने के बावजूद भी अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ सहायक के पद पर नगर पालिका, लक्ष्मणगढ, जिला अलवर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से नगर पालिका, विराटनगर किया गया है। अनुलग्नक–3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 925/2024 प्रस्तुत की, जिसके क्रम में अधिकरण द्वारा दिनांक 14.10.2024 को अंतरिम आदेश जारी किया गया, परंतु उसमें यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि प्रत्यर्थी विभाग नये सिरे से नियमानुसार अपीलार्थी का स्थानांतरण करता है तो उसमें यह स्थगन आदेश बाधक नहीं होगा। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग को नियमानुसार स्थानांतरण करने हेतु स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा नियमानुसार अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होना प्रकट नहीं होता है। अतः अपीलार्थी की अपील में कोई बल न होने के कारण खारिज फरमाये जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के ग्राह्यता के प्रक्रम पर एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष